संख्या-24/2018/736/71-3-2018-एन0एम0-09/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 11 सितम्बर, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मेडिकल कालेज, फतेहपुर की स्थापना हेतु भूमि क्रय किए जाने के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भारत सरकार की योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल्स" (फेज-2) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, फतेहपुर को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज बनाए जाने हेतु प्रस्तावित भूमि 19.46 एकड ग्राम-चित्तौरा तहसील, सदर जनपद-फतेहपुर की उ0प्र0 को-आपरेटिव स्पीनिंग मिल लि0 के नाम श्रेणी-6(2) के अन्तर्गत नियत सर्किल रेट के आधार पर रू0 47,28,78,000.00 (रूपये सैंतालिस करोड अट्ठाईस लाख अट्ठाहत्तर हजार मात्र) का मूल्यांकन किया गया है।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, फतेहपुर के निर्माण हेतु ग्राम-चित्तौरा तहसील, सदर जनपद-फतेहपुर स्थित उ0प्र0 को-आपरेटिव स्पीनिंग मिल लि0 के नाम श्रेणी-6(2) के अन्तर्गत 34.86 एकड में से 19.46 एकड भूमि क्रय किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश संख्या-16/2018/424/71-3-2018-एन0एम0-09/2018, दिनांक 14-06-2018 द्वारा रू0 47,28,78,000.00 (रूपये सैंतालिस करोड अट्ठाईस लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम चरण में रू0 1.00 (रूपये एक करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, फतेहपुर के निर्माण हेतु उक्त भूमि की मूल्यांकित धनराशि रू0 47,28,78,000.00 के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 46,28,78,000.00 (रूपये छियालिस करोड अट्ठाईस लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते/ डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. शासनादेश संख्या-16/2018/424/71-3-2018-एन0एम0-09/2018, दिनांक 14-06-2018 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. नियमानुसार निर्विवाद रूप से भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
7. प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-448/दस-2018-231/2018, दिनॉक 24 अप्रैल, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-67-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव ।

संख्या:-24/2018/736(1)/71-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार फतेहपुर।
5- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 को-आपरेटिव स्पीनिंग मिल लि0, कानपुर।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
9- नियोजन-अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in